ई० फाईल संख्या-57897/47

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **देहरादून: दिनांक अक्टूबर ,2025**

विषयः राज्य योजना के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर में विभिन्न 02 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ,क्षे०का० लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों (Project ID-5018, 4643), जिसके अंतर्गत सेतुओं के उच्चीकरण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य(प्रथम चरण) की कुल लागत ₹10.13 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹8,81,000/-(₹ आठ लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/-(₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 02 कार्यों हेतु ₹20,000/-(₹बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत् अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में कौसानी -बैजनाथ मोटर मार्ग (एस0एच0 11) के कि0मी0 67 में 36 मी0 स्पान के पूर्व निर्मित बी लोडिंग के स्थान पर क्लास ए लोडिंग 40 मी0 (2.00 लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य (यूटिलिटी शिफ्टिंग)।	-	5.73	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा बागेश्वर में बागेश्वर-कपकोट- तेजम मोटर मार्ग (एस0एच0 40) कि0मी0 1 व कि0मी0 2 में स्थित पूर्व में निर्मित बी लोडिंग 6.00 मी0 व 7.20 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुल के स्थान पर क्लास ए लोडिंग(2.00) सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	6.00 मी० एवं 7.20 मी० स्पान	3.08	0.10
	योग	6.00 मी० एवं		

		7.20 मी० स्पान	8.81	0.20

(₹ बीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

i. यूटिलिटी शिफ्टिंग की धनराशि हस्तान्तरण से पूर्व अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 स्थलीय निरीक्षण कर प्राविधानों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लें ।

ii. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/ III(2)/10-17(सामान्य)/ 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

iii. आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं , अथवा बाजार भाव से ली गई हो , की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्तकी जानी आवश्यक होगी।

v. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 290 XXVII(7)/2012 वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.नि.) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाये।

vii. आगणन के अन्तर्गत किसी मद की पुनरावृत्ति न हो व आगे इस कार्य हेतु भेजे जाने वाला आगणन सभी भागों को संकलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन के रूप में गठित कर प्रेषित किया जाये, जिससे कि कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय , एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

x. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

xi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/ XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xiii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xiv. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नाप भूमि अधिग्रहण/ वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

xvi. उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग , उत्तराखण्ड शासन शासनादेश सं0-383/III(1)19-190 (PWD)01टी.सी. II, दिनांक 05-02-2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

xvii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट

आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा ।

3 - यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जेनरेटेड संख्या-I/336374/2025, दिनांक- 08.10.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Vineet Kumar
Date: 15-10-2025
10:26:45

(विनीत कुमार)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो.नि.वि. अल्मोड़ा ।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि., बागेश्वर ।
10. गार्ड फाईल।

(विनीत कुमार)
अपर सचिव।